न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

अपील/डिक्री/टी ए/5991/06/चित्तौडगढ

1 पोखर 2. लखमा 3.दूदा पिसरान उदा समस्त जाति भील निवासी ग्राम लालजी का खेडा तहसील व जिला चित्तौडगढ

अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार चित्तौडगढ

रेस्पोडेन्ट्

उपस्थित

श्री के.के.पुरोहित अभिभाषक अपीलार्थी

श्री रामसुख चौधरी उप राजकीय अभिभाषक

खण्ड पीठ

श्री मनोज कुमार नाग, सदस्य

श्री धूकलराम कसवां सदस्य

निर्णय

दिनांकः

1. यह अपील राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौडगढ के निर्णय व डिक्री दिनांक 14–7–06 के विरूद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955(संक्षेप में अधिनियम) की धारा 224 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई हैं।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौडगढ के समक्ष अपीलार्थीगण वादीगण ने प्रतिवादी राज्य सरकार एवं गोपी लाल पुत्र चेता को पक्षकार बनाकर एक वाद अधिनियम की धारा 88 एवं 188 के तहत वादपत्र में अंकित आराजी के बाबत प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय ने वाद को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तलब किया। प्रतिवादीगण की ओर से जबाब दावा पेश होने पर दावा एवं जबाब दावा के आधार पर अनुतोष सहित कुल आठ तनकीयात कायम की और अपने निर्णय दिनांक 12–6–2006 से वाद वादी खारिज कर दिया। इससे

व्यथित होकर अपीलार्थी ने राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौडगढ के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जिन्होंने अपने निर्णय दिनांक 14–7–06से अपील खारिज कर दी। इससे व्यथित होकर यह द्वितीय अपील मण्डल के समक्ष पेश की गई है।

3. उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

4. अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील मीमो में अंकित तथ्यों को बहस के दौरान दोहराते हुये तर्क प्रस्तुत किया कि अपीलार्थीगण की ओर से अपीलार्थी स्वयं साक्ष्य में पेश हुये हैं तथा अपनी ओर से नामान्तरकरण संख्या 149,खसरा मिलान प्रदर्श–1,नामान्तरकरण संख्या 88 प्रदर्श–2,रसीदें प्रदर्श–3 आदि पेश किये गये हैं जिनसे तनकी संख्या 2 वादीगण के हक में प्रमाणित होती है। प्रत्यर्थी ने इस प्रकरण में कथित बयनामा पेश नहीं किया जिससे प्रतिवादी को उदा भील द्वारा भूमि विक्रय करना प्रमाणित नहीं है। प्रतिवादी गोपी ने राजस्व अधिकारियों से मिलकर विवादग्रस्त भूमि अपने नाम दर्ज करवा ली। अपीलार्थी ने अपना वाद मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से सिद्ध कराया है। गोपी का उक्त भूमि पर कब्जा नहीं है। वर्तमान में भूमि बिला नाम दर्ज है जिससे उसको कानूनन कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। उनका तर्क है कि अपीलार्थी के पिता उदा द्वारा प्रतिवादी संख्या 3 गोपी को कथित विक्रय पत्र लिखा गया वह अब्बल तो फर्जी होकर कानूनन प्रभावशून्य है,भूमि का हस्तान्तरण प्रमाणित नहीं है फिर भी उक्त तथ्य को नजर अन्दाज कर निर्णय पारित करने में विधिक भूल की है। प्रतिवादी गोपी पिता चैना रेगर को इस प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाया गया क्योंकि वह विचारण न्यायालय में औपचारिक पक्षकार था तथा उसके विरूद्ध कोई भी दादरसी अपीलार्थी ने नहीं चाही है। इसलिये अपीलाधीन निर्णय निरस्त योग्य है। अतः दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय निरस्त किये जाकर अपीलार्थीगण वादीगण का वाद डिक्री किया जावे।

5. विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि वादग्रस्त भूमि अधिनियम की धारा 175 के अन्तर्गत बिला नाम अंकित हुई है इसलिये तहसीलदार बेदखली अथवा अन्य कार्यवाही करने के लिये स्वतंत्र है। दावा चलने येाग्य नहीं है। दोनो अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष हैं जिनमें

बिना किसी ठोस आधार के द्वितीय अपील के स्तर पर हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिये।

6. हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

7. इस प्रकरण में मुख्य निर्णायक बिन्दु यह है कि वादग्रस्त आराजी अधिनियम की धारा 175 की कार्यवाही में प्रकरण संख्या 111/83के निर्णय से बिला नाम दर्ज कर देने से अपीलार्थी वादी पुनः खातेदारी की घोषणा कराने का अधिकारी है?यह स्वीकृत तथ्य है कि वादग्रस्त भूमि के बारे में अधिनियम की धारा 175 के तहत उपखण्ड अधिकारी चित्तौडगढ के न्यायालय में वाद संख्या 113/83में कार्यवाही होकर वादग्रस्त आराजी को दिनांक 27–12–89 को बिला नाम घोषित किया गया है। यह भी दोनों पक्ष स्वीकार करते हैं कि वादग्रस्त भूमि का पंजीकृत विक्रय विलेख निष्पादित हुआ है। अनुसूचित जन जाति के व्यक्ति की भूमि का अनुसूचित जाति के व्यक्ति के पक्ष में हस्तान्तरण हुआ है जो निःसन्देह अधिनियम की धारा 42 का उल्लंघन है। वादी ने विक्रय पत्र को फर्जी बताकर वाद पेश किया है। हालाकि अपीलार्थी द्वारा विक्रय पत्र पेश नहीं किया गया है जिसे वह फर्जी बताता है लेकिन अपीलार्थी वादी के द्वारा ही प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्श–5 के अनुसार पंजीकृत विक्रय पत्र के माध्यम से खातेदार उदा पिता भेरा भील द्वारा खसरा नम्बर 523 का जरिये विक्रय पत्र गोपी पिता चेना रेगर को बेचान कर कब्जा दे दिया है जिसके आधार पर वादग्रस्त आराजी प्रतिवादी संख्या 3 के नाम दर्ज करने का आदेश सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी ने दिया है। इस प्रकार खातेदार द्वारा आराजी का विक्रय पंजीकृत दस्तावेज के माध्यम से किया है इसलिये उसे फर्जी नहीं कहा जा सकता है। अपीलार्थी वादी अगर उक्त दस्तावेज को फर्जी मानता है तो उसे सक्षम सिविल न्यायालय से निरस्त कराना चाहिये था। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने तथ्यों का विवेचन कर विधि अनुरूप अपने समवर्ती निष्कर्ष अंकित किये हैं जिनमें द्वितीय अपील के स्तर पर हम बिना किसी ठोस आधार के हस्तक्षे करना उचित नहीं समझते हैं।

11. उपरोक्त विवेचन के अनुसरण में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(धूकलराम कसवां)
सदस्य

(मनोज कुमार नाग)
सदस्य